न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 62/2019
वाद दायरी दिनांक : 03/06/2019
निर्णय दिनांक : 17/02/2021

1. लालचन्द पुत्र कुम्भाराम जाति कुमावत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. नानूराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुमावत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादी

वाद घोषणा

(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति – श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 17/02/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के आराजी खाता संख्या 1 के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.51 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान में सिवायचक लगानी दर्ज है। विवादित आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 0.51 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 39/1 रकबा 0.51 हैक्टेयर है उपरोक्तानुसार विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजीयात साबिक रिकार्ड में खसरा नम्बर 39/1 में से 10 बिस्वा जो कि वादीगण के पिता स्व0 कुम्भाराम पुत्र दीपाराम के कब्जे एवं उपयोग, उपभोग की आराजी रही है जिस पर राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ 6(67)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

राजस्थान/ख0/72 दिनांक 3 जुलाई 1976 के अनुसरण में वादीगण के दादा को उक्त भूमि के पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुये श्रीमान तहसीलदार महोदय दूदू मुख्यालय मौजमाबाद के द्वारा प्रीमियम राशि 255 रूपये वसूल की जाकर दिनांक 18.08.83 को सनद प्रार्थी/वादी के दादा के पक्ष में जारी की गई। उपरोक्त विवादित आराजीयात पर स्व0 कुम्भाराम अपने जीवनकाल में शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है इनकी मृत्यू उपरान्त वादीगण उक्त आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 78 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये। जिस पर पिता की मृत्यू उपरान्त वादीगण पुख्ता रहवासी मकान बनाकर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात का अंकन साबिक रिकार्ड खसरा नम्बर 39/1 में गैर मुमकिन आबादी के रूप में राजस्व जमाबंदी में दर्ज हो गया है जिसकी पुष्टि संख्या 2041 से 2070 की खसरा गिरदावरी से भी होती है परन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर में से प्रार्थी/वादीगण के दादा के हिस्से की 10 बिस्वा भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हो पाया जिस कारण हाल नवीन खसरा नम्बर में भी उक्त भूमि साबिक रिकार्ड अनुसार ही सिवायचक लगानी दर्ज चली आ रही है जो कि गलत है एवं विधि अनुसार दुरस्तनीय है। उक्त राजस्व रिकार्ड में त्रुटि की जानकारी पूर्व में वादीगण को नही रही है मकान के लिए वित्तिय ऋण की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि वादीगण के पिता स्व0 कुम्भाराम के हक एवं अधिकार का अंकन एवं तरमीम राजस्व रिकार्ड में नही हो पाई है। वादीगण के द्वारा सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने के पश्चात तहसीलदार महोदय को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दी गई इसलिए वादीगण को वाद विरूद्व वाद घोषणा एवं तरमीम दुरूस्ती पेश करना लाजिमी हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बरान 78 में वादीगण के हिस्से की भूमि 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जमाबंदी में गैर मुमकिन आबादी के आधार पर रिकार्ड संधारित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में हाल नक्शा ट्रेस में माके पर कब्जेनुसार एवं रिकार्ड अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करे। उपरोक्त निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित किया जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात फोटो प्रति सनद दिनांक 18/08/1983, नक्शा ग्राम बोराज, जमाबन्दी ग्राम बोराज, विद्युत बिल की प्रति, पानी बिल की प्रति, मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 1 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.5100 हैक्टेयर बंजड राजस्थान सरकार के नाम से सिवायचक लगानी दर्ज है जिससे साबित है कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है यदि विवादित आराजीयात पर वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा भी है, तो वह मात्र अतिक्रमी की श्रैणी में आता हैं और न्यायालय अतिक्रमण को बढावा नही दे सकता हैं, चूंकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है, इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज योग्य पाया जाता हैं।

अतः वादीगण का वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.5100 हैक्टेयर वाके गाम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी (जयपुर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बूंदी (जयपुर)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बूंदी

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (RAS)

(1) लालचन्द (2) नानूराम पुत्रान कुम्भाराम जातियान कुमावत नि. बोराज तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम तहसीलदारजी तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज.

दावा बाबत घोषणा

मुकद्दमा न. 62/2019 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री. बलवन्त सिंह चौधरी

व हाजिरी .... भिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री पैरोकार सरकार

.... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.5100 हेक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तह. मौजमाबाद जिला-जयपुर के बाबत खारिज किया जाता है।

.... निज .... मुबलिग ....

.... बाबत .... खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ....

.... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर)

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत्			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।